

आईडीबीआई बैंक लि० शाखा भरतपुर

.....प्रार्थी सिक्क्योर क्रेडिटर

बनाम

1-श्री रामकरण सैनी पुत्र श्री हरचन्द सैनी } निवासी वार्ड नम्बर 20, चामड़ मौहल्ला, नगर,  
2-श्रीमती रजनी देवी पत्नी रामकरण सैनी } भरतपुर

.....अप्रार्थी ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्क्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रक्शन  
ऑफ फाइनान्सियल एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट 2002

आदेश

दिनांक 24.1.2019

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी० अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थी० ऋणी से बंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी० ने दिनांक 5-1-2017 को प्रार्थी बैंक से 1200000/- रुपये की ऋण सुविधा ली थी। अप्रार्थी० ने उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अपनी अचल सम्पत्ति के निर्मित भाग एवं भूमि वार्ड न.17 कायस्थ मौहल्ला, नगर, जिला भरतपुर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 253.11 वर्ग गज है को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था।

अप्रार्थी के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नहीं कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी०/ऋणी के खाता को दिनांक 8-8-1917 को एन.पी.ए.(अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 10.4.2018 तक 1321181/- रुपये ब्याज एवं अन्य खर्चे अप्रार्थी० पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी० ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13 (2) का नोटिस दिनांक 8-5-2018 को अप्रार्थी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी० द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने की जाने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी/ऋणी ने उपर्युक्त सम्पत्तियों को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा- 13(2) का नोटिस दिनांक 8-5-2018 अप्रार्थी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किये गये, तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के

.....2

(2)

प्रा.पत्र/5/2019

आईडीबीआई बैंक बनाम रामकरण सैनी वगै.

बाबजूद राशि नहीं चुकाने पर अन्तिम रूप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया/ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिये प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :-

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी0 द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अपनी अचल सम्पत्ति के निर्मित भाग एवं भूमि वार्ड न.17 कायस्थ मौहल्ला, नगर, जिला भरतपुर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 253.11 वर्ग गज है को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किये थे उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

डा० आरुषी मलिक )  
जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर  
भरतपुर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official